राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1 (175) स्था./निकाशि/2012/609 दिनांक – 28 सितम्बर 2012

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम–2010 के नियम 4(3) क में वर्णितानुसार गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 14.07.2011 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित कर्मचारी जिन्होनें उक्त नियमों के अधीन उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी अनुशंषा की गई थी। जिसके पश्चात इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 218 दिनांक 29.07.2011 के द्वारा इनको कॉलम नं. 04 में अंकित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। इनके द्वारा कॉलम नं. 04 में अंकित तिथि को क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति दी गई। इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4281 दिनांक 04.08.2011 के द्वारा इनको कॉलम नं. 05 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था। कॉलम नं. 05 में अंकित तिथि को इनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय में उपस्थिति देने के पश्चात कॉलम नं. 02 में अंकित तिथि को ये अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के कारण सेवा निवृत्त हो गये। इनके पदस्थापन के आदेश जारी होने से पूर्व ही इनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इनको पदस्थापित नहीं किया जा सका था। अब इन कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति की दिनांक से सेवानिवृत्ति तिथि तक के वेतन का भुगतान किया जाना है इसलिए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम–2010 के नियम 5(ii) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम–2010 में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तो के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त होने के फलस्वरूप कार्मिकों के नाम के सम्मुख अंकित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित (R.V.R.E.S) पद पर विद्यमान वेतनमान में क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति की दिनांक से सेवानिवृत्ति तिथि तक के मात्र वेतन–भत्तों के भुगतान हेतु काल्पनिक आधार पर पदस्थापित किया जाता है:–

1. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्मिकों को क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थिति की दिनांक से सेवानिवृत्ति तिथि तक के वेतन–भत्तों का निर्धारित शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित कर अविलम्ब भुगतान करावें।

2. ये इन नियमों के अधीन अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नही होगें तथापि इन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा जैसा कि यू0जी0सी0 के तहत राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक अनुदेशकों को अनुज्ञात है। सुनिश्चित कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जावेगी।

3. यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा (महा. शाखा) सेवा नियम, 1986 के अध्यधीन नहीं की जा रही है वरन् राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के नियम 5 (ii) के अनुरूप मृत संवर्ग के रूप में की जा रही है।

6

4. यह मृत संवर्ग के पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवार्षिता/ स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति/सेवा में रहते हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदों के रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगें। इससे महाविद्यालय शिक्षा विभाग के पूर्व से सृजित पद समाप्त नहीं होगें।

5. इनका वेतन इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर इनके इस आदेश की अनुपालना में पद ग्रहण करने की तारीख से छठे वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जायेगा। इन कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके काल्पनिक आधार पर पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) राजकीय महाविद्यालय व्याख्याता मय लाईब्रेरियन एवं पी.टी. आई नियम–2009 के लाभ के लिए अनुज्ञात किये जायेगें।

6. उपार्जित अवकाश के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपार्जित अवकाश के अतिशेष के नगदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

7. इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके काल्पनिक आधार पर पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मद्दे कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयनित वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नहीं किये जायेंगें।

8. इन नियमों के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये ये व्यक्ति पेंशन स्कीम के लिए पात्र नहीं होगें अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके काल्पनिक आधार पर पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जमा नहीं कराया गया हो तो, राज्य सरकार द्वारा संदत्त नही किया जायेगा। नियुक्त कार्मिक पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होगा।

9. अनुदान/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नही की जायेगीं। कर्मचारी संबंधित सहायता/अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से अपने उपादान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राज्य सरकार का इस संबंध में कोई उत्तर दायित्व नही होगा।

10. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक योग्यता की वैधता की जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवा कर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में ही प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

6

11. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों की मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक एक प्रमाणित छायाप्रतियॉ प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे।

12. उक्त नियुक्ति आदेश डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2983/2011 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित अन्तिम निर्णयाधीन जारी किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी/पद / विषय/ जन्म तिथि एवं सेवा निवृत्ति तिथि	अनुदानित महाविद्यालय का नाम	क्षेत्रिय कार्यालय का नाम एवं उसमें उपस्थिति की दिनांक	राजकीय महाविद्यालय का नाम व उसमें उपस्थिति की दिनांक	पदस्थापित राजकीय महाविद्यालय जहॉ से वेतन का भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रीटा माथुर व्याख्याता गणित 12.08.1951/31.08.2011	एस.एस.जैन सुबोध पी.जी.कॉलेज, जयपुर	जयपुर 30.07.2011	राज.महा. सांभरलेक 06.08.11	राज. महा. सवाई माधोपुर (व्याख्याता गणित के पद के विरूद्ध)
2	श्रीमती छाया नाहर व्याख्याता अर्थशास्त्र 11.09.1951/ 30.09.2011	सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर	अजमेर 02.08.2011	राज.महा. अजमेर 06.08.11	राज.महा.राजगढ (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)
3	श्री जयपाल सैनी व्याख्याता वनस्पति विज्ञान 09.08.1951/31.08.2011	अग्रवाल पी.जी. कॉलेज, जयपुर	जयपुर 01.08.2011	राज.महा. कोटपूतली 06.08.11	राज. महा. मालपुरा (व्याख्याता वनस्पति शास्त्र के पद के विरूद्ध)
4	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा व्याख्याता व्यावसायिक प्रशासन 26.08.1951/31.08.2011	विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय, अजमेर	अजमेर 01.08.2011	राज.महा. किशनगढ 06.08.11	राज.महा.शाहपुरा, भीलवाड़ा (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)
5	श्री शिवेन्द्र पाठक व्याख्याता रसायन विज्ञान 20.09.1951/30.09.2011	श्री जी.एन.खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	बीकानेर 02.08.2011	राज.कन्या महा. श्रीगंगानगर 06.08.11	राज.महा. झालावाड़ (व्याख्याता रसायन शास्त्र के पद के विरूद्ध)
6	श्री बी.एस.जैन व्याख्याता ई.ए.एफ.एम. 15.08.1951 /31.08.2011	ओंकारमल सोमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जोधपुर	जोधपुर 30.07.2011	राज.महा. फलौदी 06.08.11	राज.महा.शाहपुरा भीलवाडा (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)
7	श्री हरनारायण पाखरोट व्याख्याता ई.ए.एफ.एम. 11.08.1951/31.08.2011	विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय, अजमेर	जयपुर 08.08.2011	राज.कन्या महा. अजमेर 10.08.11	राज.महा.भीनमाल (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)
8	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा ई.ए.एफ.एम. 10.08.1951/31.08.2011	महर्षि दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	बीकानेर 01.08.2011	राज.महा. श्रीगंगानगर 06.08.11	राज.महा.नोहर (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)
9	श्रीमती कमलेश माथुर व्याख्याता इतिहास 23.09.1951/30.09.2011	जे.बी.शाह गर्ल्स पी. जी.कॉलेज, झुंझुनू	जयपुर 01.08.2011	राज.कन्या महा. झुंझुनू 06.08.11	राज. कन्या महा. झालावाड़ (व्याख्याता इतिहास के पद के विरूद्ध)

6

10	श्री उत्तम चन्द जैन व्याख्याता ए.बी.एस.टी. 01.01.1952/31.12.2011	एस.एस.जी.पारीक (पी.जी)महाविद्यालय, जयपुर	जयपुर 01.08.2011	राज.कन्या महा. कोटपूतली 06.08.11	राज.महा.नोहर (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)
11	श्री श्याम लाल बांधवा व्याख्याता रसायन विज्ञान 04.01.1952 /31.01.2012	सेठ जी.एल.बिहाणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	बीकानेर 01.08.2011	राज.महा. श्रीगंगानगर 06.08.11	राज.महा. झालावाड (व्याख्याता रसायन शास्त्र के पद के विरूद्ध)
12	डॉ. मनोहर सिंह बापना व्याख्याता ई.ए.एफ.एम. 22.11.1951 /30.11.2011	माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी महा. उदयपुर	उदयपुर 01.08.2011	राज.मीरा कन्या महा.उदयपुर 06.08.11	राज.महा.आमेट (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)
13	डॉ. कमल कान्त गौड व्याख्याता अर्थशास्त्र 17.11.1951/30.11.2011	लाल बहादुर शास्त्री पी.जी.कॉलेज, जयपुर	जयपुर 30.07.2011	राज.महा. चिमनपुरा 06.08.11	राज.महा.शाहपुरा भीलवाडा (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)
14	श्री नरेश कुमार सहल व्याख्याता व्यावसायिक प्रशासन 05.08.1951/ 31.08.2011	ओंकारमल सोमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जोधपुर	जोधपुर 01.08.2011	राज.महा. फलौदी 06.08.11	राज.महा.देवली (व्याख्याता भूगोल के पद के विरूद्ध)

(सुनील कुमार शर्मा)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा,राज0,जयपुर

क्रमांक एफ 1 (175)स्था/निकाशि/2011/609 दिनांक: 28 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/ उपविधि परामर्शी निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना/अनुदान/ कार्मिक/ अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप-5, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
11. संबधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
12. संबधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
13. संबधित व्याख्याता।
14. संस्थापन/ कम्प्यूटर/गोपनीय/ कार्मिक शाखा/ नोडल आफिसर, विभागीय वेबसाईट।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा,राज0,जयपुर